भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 786

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर स्थिति होने के बावजूद टोल वसूली

786. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के बावजूद, निर्धारित दरों पर टोल वसूला जा रहा है और यदि हाँ, तो वर्तमान में संचालित ऐसे टोल प्लाजा की संख्या कितनी है जहाँ सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे स्थानों पर टोल संग्रह को निलंबित या बंद करने का कोई प्रावधान है जहाँ सड़क की स्थिति निर्धारित मानकों से नीचे है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों में टोल संग्रह निलंबित या बंद किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में टोल प्लाजा की कुल संख्या कितनी है तथा ऐसे कितने टोल प्लाजा राज्य-वार हैं जहाँ परियोजना लागत वसूल होने या निर्धारित टोल संग्रह की अवधि समाप्त होने के बाद भी टोल संग्रह जारी है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं का कोई स्वतंत्र वित्तीय लेखापरीक्षण कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) टोल संग्रह की अवधि के दौरान रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के रखरखाव संबंधी दायित्व क्या हैं तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान खराब रखरखाव के कारण की गई दंडात्मक कार्रवाइयों और टोल अनुबंधों को समाप्त करने की संख्या कितनी है और यदि ऐसी कार्रवाई नगण्य है तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण तभी प्रारंभ होता है जब पूर्णता प्रमाण पत्र/अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंधित खंड संचालन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करने हेतु सुरक्षा रिपोर्ट जारी हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों और संबंधित रियायत करारों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, भारत के राजपत्र में संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् ही लगाया और संगृहीत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन की अवधि के दौरान लागू प्रयोक्ता शुल्क में कमी कर दी जाती है और उन्नयन कार्य पूरा होने तक प्रयोक्ता शुल्क का कोई वार्षिक संशोधन नहीं किया जाता, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) उन खंडों पर लागू प्रयोक्ता शुल्क में 30% की कमी जहां पेव्ड शोल्डर वाले दो-लेन राजमार्ग, लेकिन चार लेन से कम विन्यास वाले राजमार्गों का चार लेन या उससे अधिक लेन विन्यास में अपग्रेड किया जा रहा है।

(ii) उन खंडों पर लागू प्रयोक्ता शुल्क में 75% की कमी जहां चार लेन वाले राजमार्गों को छह लेन या उससे अधिक के विन्यास में अपग्रेड किया जा रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हर समय यातायात-योग्य बने रहें, नियमित साइट निरीक्षण, समय-समय पर समीक्षा और साइट दौरे किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित संविदा करार (सीए) में निर्दिष्ट वांछित सेवा स्तरों के संबंध में फुटपाथ और अन्य राजमार्ग संपत्तियों की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए समय-समय पर एनएसवी सर्वेक्षण, एफडब्ल्यूडी परीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण आदि किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों/निरीक्षणों के परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार फील्ड यूनिट द्वारा संबंधित संविदाकारों/रियायतग्राहीयों के माध्यम से आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

(ग) जून 2026 तक, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1,235 शुल्क प्लाजा परिचालन में हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत प्राधिकारी द्वारा संचालित शुल्क प्लाजा के मामले में, रियायत करार के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक रियायत प्राधिकारी द्वारा संगृहीत किया जाता है, और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद शुल्क प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा शुल्क संग्रहित किया जाता है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के तहत शुल्क प्लाजा के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड के लिए शुल्क संग्रहण जारी रहेगा। प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से प्रदान की गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के भावी रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

(घ) देश भर में प्रयोक्ता शुल्क की गणना के लिए एक समान कार्यप्रणाली के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 तैयार की गई थी। रियायतग्राही द्वारा संचालित प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा सहित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की नियमित लेखापरीक्षा (ऑडिट) की जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव आवश्यकतानुसार किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई भी भाग अछूता न रहे।

इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही/संविदाकार अपने संबंधित रियायत/संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार रियायत/संविदा अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। बीओटी/एचएएम, ईपीसी, टीओटी/इनविट और पीबीएमसी परियोजनाओं के मामले में रियायत/संविदा करार की अनुसूची-ट, अनुसूची-ङ, अनुसूची-च और अनुलग्नक-ङ में दिए गए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार रखरखाव कार्यकलाप किए जाते हैं। निर्धारित अवधि के भीतर किसी त्रुटि या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफलता के मामलों में, संबंधित रियायत/संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार, गलती करने वाले रियायतग्राही/संविदाकार के विरुद्ध मामले-दर-मामले के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान खराब रखरखाव के कारण निष्पादित दंडात्मक कार्रवाई और टोल अनुबंध समाप्ति का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर स्थिति होने के बावजूद टोल वसूली के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल के द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 786 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत पांच वर्षों के दौरान खराब रखरखाव के कारण की गई दंडात्मक कार्रवाइयों और टोल अनुबंधों की समाप्ति का विवरण:

परियोजना/शुल्क प्लाज़ा का नाम	रियायतग्राही/ संविदाकार	जुर्माना (लाख रुपये में)
एनएच-752बी का न्यूली, 54+100 किलोमीटर	मैसर्स गणेशगारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	3.44
	मैसर्स गणेशगारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1.00
	मैसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	1.00
	मैसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	14.70
एनएच-146 का जोहरिया शेख, किलोमीटर 165+350	मैसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन	1.00
मुकरबा चौक से पानीपत खंड, चै. 15+500 से 86+000 तक को 8 लेन का बनाना	मैसर्स एनएक्सटी-इंफ्रा एमसीपी हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड	176.55
एनएच-27 का पालनपुर-राधनपुर-सामाखियाली खंड (टीओटी बंडल- 5ए1)	मैसर्स पीआरएस टोल्स लिमिटेड	भील्डी शुल्क प्लाजा के लिए रियायतग्राही के टोल अधिकार दिनांक 23.06.2026 से 14.07.2026 तक निलंबित कर दिए गए थे।
एनएच-27 का पालनपुर-राधनपुर-सामाखियाली खंड	मैसर्स डीपी जैन टीओटी टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड	वाराही और भालगम शुल्क प्लाजा के लिए रियायतग्राही के टोल अधिकार दिनांक 22.06.2026 से

(टीओटी बंडल- 5ए2)		16.07.2026 तक निलंबित कर दिए गए थे।
जेतपुर-गोंडल-राजकोट बीओटी परियोजना	मैसर्स डब्ल्यूजीईएल	भारुडी और पिठड़िया टोल प्लाजा पर टोलिंग अधिकार सहित बीओटी परियोजना को दिनांक 31.03.2022 को समाप्त कर दिया गया था।
